राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना

बैतूल जिले में मार्च 2015 से राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत रिस्क मेनेजमेंट इन्श्योरेंस के नाम से आरंभ की गई इस केन्द्र प्रवर्तित योजना में जिले के समस्त पशुपालक भागीदार हो सकते है।

राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत प्रत्येक पशुपालक को गौवंशीय, भैसवंशीय, घोडे, गधे, खच्चर, उंट, भेड, बकरी, सुकर एवं खरगोश को बीमित करने की पात्रता है। प्रत्येक हितग्राही 5 बडे पशु तक अथवा 50 छोटे पशु (भेड, बकरी, सुकर एवं खरगोश) तक बीमा करवा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पशु पालकों को बीमा प्रीमियम का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालक को बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत की अनुदान की पात्रता है। पशुपालक को बीमा प्रीमियम पर देय सर्विस टेक्स का भुगतान भी करना होगा। योजना अन्तर्गत पशुपालक 3 प्रतिशत की दर पर एक वर्ष हेतू अथवा 7.5 प्रतिशत की दर पर तीन वर्ष के लिये अपने पशु का बीमा करवा सकता है। बीमा हेतु पशु के मूल्य का निर्धारण हितग्राही एवं पशु चिकित्सक द्वारा किया जावेगा।

इस योजना के अन्तर्गत बैतूल जिले के लिये दि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कम्पानी लिमिटेड, संभागीय कार्यालय कमांक-2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल को अधिकृत किया है।

पशु की मृत्यु होने पर इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कम्पनी को देना अनिवार्य होगा तथा एक माह में क्लेम फार्म, शव परीक्षण रिपोर्ट, कर्ण टेग एवं अन्य दस्तावेज बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।

हितग्राही योजना की विस्तृत जानकारी अपने निकट की पशु चिकित्सा संस्था से प्राप्त कर सकते है एवं स्थानीय पशु चिकित्सक के सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते है।

..........000............

D.D.V.S.
Betul